11.01.2024

राज्य द्वारा एडीपीओ उपस्थित।

आरोपी सर्किल जेल शिवपुरी से व्ही0सी0 के माध्यम से उपस्थित, उसकी ओर से श्री मनीष कुमार जैन अधिवक्ता उपस्थित।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है।

इसी प्रक्रम पर अभियुक्त की ओर से उसके अधिवक्ता द्वारा एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 437 द0प्र0सं0 का इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि पुलिस थाना कोतवाली द्वारा असत्य आधारों पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर न्यायालय के समक्ष वाद विवेचना अभियोग पत्र प्रस्तुत कर दिया है, जो वर्तमान में विचाराधीन होकर आज साक्ष्य हेतु नियत है। यह कि उक्त प्रकरण में प्रार्थी को दिनांक 27.08.2023 को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था तभी से प्रार्थी न्यायिक निरोध जेल शिवपुरी में निरूद्ध है। यह कि प्रार्थी ने कोई अपराध नहीं किया है और न किसी अपराध से कोई संबंध है। यह कि प्रार्थी प्रतिभूति हो जाने पर न तो कहीं भागकर जावेगा और न ही साक्ष्य अभियोजन ही बिगाड़ेगा बल्कि न्यायालय के समस्त आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण पालन कर यथा समय व यथा स्थान उपस्थित ट्रायल फेस करता रहेगा। यह कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षीगण के कथनों एवं न्यायालयीन कथनों से भी आरोपी द्वारा कथित अपराध कारित किया जाना प्रतीत नहीं होता है। यह कि प्रार्थी विगत 04 माह से सर्किल जेल शिवपुरी में निरूद्ध है एवं विचारण पूर्ण होने में भी समय लगने की पूर्ण संभावना है ऐसी स्थिति में निरोध में रहने से प्रार्थी के मन व मस्तिष्क पर कुप्रभाव पडने की पूर्ण संभावना है। अतः अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया गया है।

सहायक लोक अभियोजक द्वारा उपरोक्त आवेदन का मौखिक विरोध किया गया।

उभय पक्ष के तर्क के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली के अपराध क्रमांक 603/2023 अंतर्गत धारा 49(क) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध होकर दिनांक 19.10.2023 को अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया जा चुका है तथा उक्त प्रकरण में दिनांक 08.11.23 को आरोपी के विरूद्ध आरोप विरचित किए जाकर प्रकरण अभियोजन साक्ष्य के प्रक्रम पर है। प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से यह भी दर्शित है कि अभियुक्त के

कब्जे से जो शराब जप्त हुई है, वह मनुष्य के उपभोग हेतु अत्यंत जहरीली प्रकृति की है तथा उक्त अपराध गंभीर प्रकृति का अजमानतीय अपराध है। इसी प्रकार उक्त साक्षियों की साक्ष्य से भी यह निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि उक्त जप्तशुदा शराब जहरीली नहीं है। अतः मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 59–(ए) के प्रावधान के आलोक में उक्त प्रकृति के अपराध में जमानत का लाभ दिया जाना उचित नहीं है। अतः अपराध की गंभीरता एवं उपरोक्त परिस्थितियों एवं विधि स्थिति के दृष्टिगत अभियुक्त/आवेदक का जमानत आवेदन अस्वीकार कर **निरस्त** किया जाता है।

प्रकरण पुनः अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत किया जाता है।

साक्षी राहुल गुप्ता अ0सा0–03 उपस्थित, जिन्हें परीक्षण–प्रतिपरीक्षण उपरांत उन्मुक्त किया गया।

साक्षी क्रमांक 04 को जारी समन तामील,बाद तामील वापस प्राप्त, परंतु बाद पुकार साक्षी उपस्थित नहीं।

पुनः साक्षी जयकिशन राणा को 500/–रूपए के जमानतीय वारंट से एवं रविन्द्र सिनोरिया को जरिए समन आहूत किया जावे एवं उक्त समन/वारंट पर इस आशय की टीप अंकित की जावे कि प्रस्तुत प्रकरण अंडरट्रायल है। अतः साक्षीगण पर तामीली आवश्यक रूप से कराई जावे।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु दिनांक ..... को पेश हो।

सज्जन सिंह सिसौदिया
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला शिवपुरी म0प्र0